बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल :bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-03/2019 1730 /पटना, दिनांक 31/10/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0),
सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0),
सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0),
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदा0 (स0स0)।

विषय : प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 के लिए निरूपित आदर्श आचार-संहिता।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1714 दिनांक 31.10.2019 द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) की प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा चुका है। अधिसूचना की तिथि से आदर्श आचार- संहिता प्रभावी है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार- संहित की प्रति संलग्न है।

अत: अनुरोध है कि प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श-आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक: यथोक्त।

31.10.19
(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1730 /पटना, दिनांक : 31/10/2019

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक (होमगार्ड) बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.10.19
संयुक्त सचिव।

BSEA dt.30.10.2019 Vasant

समिति निर्वाचन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव कार्यों से संबंधित अनुदेश

भाग-1

उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए

1. सामान्य आचरण :

(1) किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो **[धारा 6(1)]** ।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये**[धारा 6(1)]** ।

(3) उपासना के किसी स्थल, यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरज़ाघर, गुरूद्धारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए**[धारा 6(1)]** ।

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके सार्वजनिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का निरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) निर्वाचन क्षेत्र (बोर्ड/ समिति) में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा। **[धारा 6 (2)]**

(8) उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि –

(i) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिसपर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशक का नाम, पता न हो [**धारा 6(4)** एवं धारा **14(viii)** तथा जो प्राधिकार के पत्रांक 928 दिनांक 01.07.2019 की कंडिका 4(2)(i) में उल्लिखित अनुदेशों के विपरीत हो]

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार या प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, **[धारा 14(V)]**

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, **[धारा 6(3)]**

(iv) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर मतदान की तिथि को किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत मांगना, **[धारा 6(7)]**

(v) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, **[धारा 6(10)]**

(vi) मतदान/मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना। **[धारा 6(8)]**

(vii) मतदान केन्द्र या उसके निकट अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना। **[धारा 6(14)]**

(9) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो। **[धारा 14 (vii)]**

(10) सार्वजनिक या निजी परिसरों में पोस्टर, बैनर, झंडा आदि किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जाना चाहिए।

(11) मत प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का रिश्वत या पारितोषिक नहीं देना चाहिए। **[धारा 14 (i)]**

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

(13) मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए।

(14) मतदान केन्द्र के निकट कोई भी गैर अधिकारिक निर्वाचन केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा।

(15) चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए।

2- सभाएँ :

(1) बोर्ड/ समिति निर्वाचन के संदर्भ में कोई सभा अपने बोर्ड/ समिति क्षेत्र अन्तर्गत ही की जा सकती है, किसी भी स्थिति में दूसरे बोर्ड/ समिति क्षेत्र में नहीं।

(2) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(3) प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(4) किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान/विघ्न उत्पन्न करने/तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाए, वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए।

3- जुलूस :-

(1) जुलूस आदि का आयोजन अपने बोर्ड/ समिति क्षेत्र के अधीन ही किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में अपने बोर्ड/ समिति क्षेत्र से बाहर नहीं।

(2) किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायगा तथा सामान्यत: इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जायें जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(4) जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायगी ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(5) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। अगर ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाय।

(6) जुलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विघ्न नही हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो।

(7) जुलूस को सड़क के यथासंभव दाहिने रखा जायगा तथा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाये।

(8) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित न हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(9) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों मे दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(10) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना चाहिए।

4- मतदान के दिन :

सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा -

(1) चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायगा।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/बैज या पहचान-पत्र दिया जायेगा।

(3) मतदान की तिथि को वाहन परिचालन पर प्राधिकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

5- मतदान कोष्ठ

मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वैध प्रवेश पत्र के बिना मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेगा।

6- पर्यवेक्षक

राज्य निर्वाचन प्राधिकार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। यदि उम्मीदवार या उनके एजेण्टों को निर्वाचन संचालन संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो, तो वे उसको पर्यवेक्षक के संज्ञान में लायें।

भाग-2

1- सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए

1. बोर्ड/ समिति निर्वाचन की घोषणा की तारीख से मतगणना समाप्त होने तक प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना निर्वाचन पदाधिकारी/ उप निर्वाचन पदाधिकारी/ पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी/ गणना सहायक इत्यादि के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा ताकि चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित नहीं हो।
2. बोर्ड/ समिति चुनाव से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।
3. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।
4. विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपभोग करने की अनुमति किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी।

2- बोर्ड/ समिति से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए

(क)बोर्ड/ समिति निर्वाचन की घोषणा होते ही संबंधित बोर्ड/ समिति द्वारा बोर्ड/ समिति निर्वाचन की अवधि में अपनी रूटीन गतिविधियाँ चालू रखने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है, किन्तु निर्वाचन की घोषणा से मतगणना परिणाम घोषित होने की अवधि में संबंधित बोर्ड/ समिति द्वारा अपने क्षेत्र में कोई नई योजना आरंभ नहीं की जा सकेगी। प्राकृतिक आपदा, यथा बाढ़, भूकंप आदि की स्थिति में बोर्ड/ समिति द्वारा राहत कार्य, अगर कोई हों, प्रारंभ करने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(ख)किसी भी परिस्थिति में बोर्ड/ समिति की किसी योजना को प्रारम्भ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा; योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किया जाएगा।

(ग) ऐसा अनुभव रहा है कि पंदावरोही (outgoing) सदस्य/अध्यक्ष अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु नए पदधारकों के आने के पहले तक वित्तीय मामलों में निर्णय लेते रहते हैं। इसमें राजस्व एवं कार्य की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। इसे प्राधिकार द्वारा उचित नहीं समझा गया है। राज्य सरकार को

ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए एवं ऐसे अनुदेश निर्गत करने चाहिए **जिसके प्रभावस्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में पदावरोही अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों पर पूर्ण पाबंदी लग जाए।**

अगर बोर्ड/ समिति सदस्यों को मौसमी एवं तत्कालिक कृषि कार्यों हेतु निधि मुहैया कराने के उद्देश्य से अध्यक्ष के लिए वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी हो जाय, तो इसके लिए निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(घ)निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही बोर्ड/ समिति के कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन की संभावना को लाभ पहुँचाने हेतु कोई कार्रवाई नही की जाए। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नये बोर्ड/ समिति के गठित होने तक बोर्ड/ समिति की किसी बैठक में ऋण वितरण एवं अन्य कार्यक्रमों से संबंधित कोई प्रस्ताव न तो पेश किए जाएं, न ही पारित किए जाएं। साथ ही नए व्यय की कोई स्वीकृति नहीं दी जाए। अगर कोई बोर्ड/ समिति प्राधिकार के निदेशों के विपरीत आचरण करे, तो इसे कदाचार माना जाएगा एवं सभी संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(ड.)आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि में बोर्ड/ समिति अध्यक्ष भूमि वितरण/ऋण वितरण/पर्चा वितरण/कार्ड वितरण आदि कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकेंगे।

भाग-3

सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

i.सहकारी कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

ii.निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :-

(i) बोर्ड/ समिति के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए,

(ii) बोर्ड/ समिति क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए;

(iii) बोर्ड/ समिति निधि से किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए; वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी स्थानीय योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नही हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए;

(iv) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए;

(v) बोर्ड/ समिति के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें बोर्ड/ समिति की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रमाणित करने में सहायता मिलती हो;

iii.किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान बोर्ड/

समिति के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में बोड/ समिति के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

भाग-4

अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें''

क्या करें

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रह सकेंगे।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन प्राधिकार से स्पष्टीकरण/अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाएं और जारी रखे जायें।
4. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान आदि निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होना चाहिये।
5. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास किसी भी अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।
6. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियाँ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्रा से संबंधित होनी चाहिये।
7. प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न पारिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।
8. प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।
9. यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
10. बैठक की गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।
11. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और कस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके सक्षम पुलिस पदाधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
12. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहॉ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
13. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
14. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।
15. कार्यकर्त्ताओं को अपने बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।
16. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।

17. राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो, इस मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।
18. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)/निर्वाचन पदाधिकारी/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/राज्य निर्वाचन प्राधिकार की जानकारी में लायी जाय।
19. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश/निदेश/दिशा-निर्देश का अनुपालन निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा किया जायेगा।

क्या ना करें

1. बोर्ड/ समिति क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक बैठकें करना/जुलूस निकालना।
2. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं किया जायेगा।
3. बोर्ड/ समिति क्षेत्र में बोर्ड/ समिति के माध्यम से वितरित/कार्यान्वित होने वाले योजनाओं का वचन देना, आधारशिला रखना तथा किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा आदि न करें।
4. कोई भी मंत्री/ सांसद/ विधायक/ पार्षद आदि किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हों या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हों।
5. वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
6. मतदातों के जातीय/ साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
7. ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
8. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्त्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
9. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकर्त्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।
10. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्धारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जायें।
11. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियॉ यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।
12. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यो के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का उपाय न करें।
13. किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक परिसर पर झण्डा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने की कार्रवाई कर उसे विरूपित न करें।

14. दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।
15. उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हों, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकालें।
16. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।
17. बोर्ड/ समिति निर्वाचन में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
18. निर्वाचन सभा के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिये।
19. अभ्यर्थी प्राधिकार द्वारा विहित सीमा से अधिक व्यय न करे।
20. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के **पन्द्रह दिनों के अंदर व्यय का लेखा-जोखा** निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करना नहीं भूलें।
21. कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नामांकन देने से रोकने, अभित्रसित करने, बल प्रयोग करने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु रिश्वत आदि देने की चेष्टा नहीं करें।

टिप्पणी :- उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं। यह उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों/निदेशों/अनुदेशो को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है।